न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./27/2022/जैसलमेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
राजस्थान सरकार जरिये	बनाम 1.आम्बसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति
1. श्रीमान जिला कलक्टर	राजपूत निवासी लाला तहसील
जैसलमेर	फतेहगढ जिला जैसलमेर
2. तहसीलदार फतेहगढ	

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 06/2017 बनवान आम्बसिंह बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2021 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हरीराम चौधरी राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री जितेन्द्र स्वामी रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः– 26.04.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम लाला के खसरा संख्या 30 रकबा 104.08 बीघा, में से रकबा 75 बीघा भूमि का रेस्पोडेंट को खातेदार घोषित कर इस आशय की घोषणात्मक अज्ञाप्ति जारी की गई है। जबकि यह भूमि सरकारी है। जो सेटलमेंट में भी सरकारी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू–प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 30.09.2021 को अपास्त किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि हस्तगत वाद में जिला कलक्टर को 80 सी पी सी का नोटिस दिया जाना अनिवार्य था, बावजूद वादी द्वारा धारा 80 सी पी सी का नोटिस नहीं दिया गया। आवंटन नियमों व शर्तो के तहत निश्चित अवधि तक किया जाता है जिसके तहत आवंटी ने कोई कब्जा प्राप्त नहीं किया जिससे आवंटन शर्तो के अनुसार उक्त आवंटन स्वत निरस्त हो गया एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के वादी का कोई वाद अधिकार नहीं है प्रतिपादित प्रावधानों से स्पष्ट है उक्त वाद आरम्भ से ही विधि से वर्जित रहा व वाद को मेरिट पर देखने से पूर्व विधि के एकमात्र प्रश्न को देखा जाना पर उस पर निर्णय वाद विचारण से पूर्व लिया जाना अधीनस्थ न्यायालय के लिये आज्ञापक था। वादी आवंटन होने एवं एडर्वपजेसन दोनों आधारों को एक साथ पेश कर दावा लाया है जो प्रतिपादित प्रावधानों से विधि से वर्जन की मात्रा कानूनी प्रश्न को निर्णय किये जाने के कानूनी, विधिक प्रावधानों से अनिवार्य होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने बिना, कानूनी प्रश्न पर गौर किये व किसी साक्ष्य के विस्तृत व समुचित परीक्षण किये व निष्कर्ष अंकित किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नही की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नही है। भू–प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समरी खसरा संख्या से वर्तमान खसरा संख्या बने हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि वादी का पुश्तैनी ग्राम लाला तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर है वादी का समुचा ग्राम फिल्ड फायरिंग रेंज में आ जाने से वादी के वालिद कल्याणसिंह पुत्र पन्नेसिंह को सरहद मौजा लाला तहसील फतेहगढ में दिनांक 21.06.1971 को समरी खसरा संख्या 48 रकबा 75 बीघा देकर काबिज किया गया है वादी के पिता कल्याणसिंह वक्त आवंटन से लगाकर अपने जीवन पर्यन्त तक इस खेत समरी खसरा संख्या 48 जिसके वर्तमान

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खसरा संख्या 30 ग्राम लाला पर बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करते रहे। एवं उनके फौत होने के पश्चात आज दिन तक वादी बहैसियतखातेदार काबिज काश्त है। समरी बन्दोबस्त का राजस्व रेकर्ड संवत 2033 तक प्रभाव में रहा तथा वादी के पिता को आवंटन तथा हल्का पटवारी द्वारा मौके पर चलकर कब्जा दिया जिस पर वादी आज दिन तक काबिज है। मौजूदा भू प्रबंध संवत 2020–2022 मे प्रारम्भ हुआ तथा वादी के पिता के पक्ष में आवंटन भू प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान हुआ। और इस कारण वादी के पिता के पक्ष मे हुए आवंटन का भू प्रबन्ध अधिकारियों के पास कोई रेकर्ड नहीं था और न ही राजस्व विभाग द्वारा वादी के पिता कल्याणसिंह के पक्ष में हुए आवंटन की सूचना भू प्रबन्ध अधिकारियों को दी गई जानकारी के अभाव में भू प्रबन्ध विभाग ने वादी के पिता को आवंटित रका समरी खसरा संख्या 48 रकबा 75 बीघा मौजा लाला को मौजूदा खसरा संख्या 30 मौजा लाला में जोड़कर रकर्ड में बिला कब्जा दर्ज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनने के पश्चात विधि सम्मत निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। भू–प्रबंध कर्मचारियों द्वारा खातेदारी में दर्ज नहीं कर राजकीय सिवायचक दर्ज कर दिया ऐसा करने का सेटलमेंट अधिकारियों को, खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना, राजकीय भूमि घोषित करने का अधिकार नहीं था। अपीलाधीन आराजी बिना किसी आधार के सरकारी भूमि दर्ज कर दी गई जिसका भू–प्रबंध विभाग को कोई अधिकार नहीं था। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने एवं प्रार्थी का अन्य प्रशासनिक कार्यों में वयस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट की अपील मियाद बाहर पेश है। अपील देरी से पेश करने के एक एक दिन का हिसाब नहीं बताया गया एवं अपील पेश करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील का निस्तारण तकनीकि बिन्दुओं के आधार पर करने की बजाय गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय ने पाया है कि वादी के वालिद कल्याणसिंह पुत्र पन्नेसिंह को सरहद मौजा लाला तहसील फतेहगढ में दिनांक 21.06.1971 को समरी खसरा संख्या 48 रकबा 75 बीघा देकर काबिज किये जाने का कथन किया गया जबकि अपीलाधीन आराजी का नामांतकरण वादी के नाम से नहीं भरा गया। खेत समरी खसरा संख्या 48 जिसके वर्तमान खसरा संख्या 30 ग्राम लाला बना हो ऐसा कोई तुलनात्मक पंजिका के दस्तावेजात पेश नहीं किये गये। समरी के उक्त खसरा संख्या 48 से अन्य कोई खसरा वर्तमान वंदोवस्त में कायम हुआ हो ऐसा कोई तथ्य पत्रावली पर दस्तावेज रूप में नहीं है, इसलिए इससे पृथक किसी अन्य खसरा संख्या की भूमि पर रेस्पोडेंट/वादी दावा लाने के अधिकारी ही नहीं है। इस दावाकृत खसरे का रकबा भी दावाकृत रकबे से सर्वथा भिन्न होकर बहुत अधिक है। दावा मनगढंत है। इन खसरों का कोई साम्य नहीं है। तत्पश्चात दावाकृत भूमि पर किसी वादीगण/रेस्पोडेंट का कोई कब्जा काश्त बाबत अभिलेखीय सबूत रिकॉर्ड पर नहीं है। बिना कब्जा काश्त के खातेदारी अधिकार प्रदान करने का कोई आधार नहीं है। इसी प्रकार पत्रावली में वादीपक्ष की गवाह के रूप में कानाराम पुत्र सिमरथाराम, धूड़सिंह पुत्र जवारसिंह का शपथ–पत्र जिस पर पीठासीन अधिकारी की न तो मार्किंग है न ही प्रस्तुति अंकन है। इसी प्रकार वादी पक्ष की साक्षी आम्बसिंह पुत्र कल्याणसिंह के शपथ–पत्र पर न कोई दिनांक अंकित है, न प्रस्तुतिकरण (Presetation) या मार्किंग है। प्रतिवादी पक्ष के रूप में केवल हनुमानराम पटवारी के कम्प्यूटर टाईप किये हुए बयान तथा जिरह अंकित हैं जिस पर तारीख का कोई अंकन नहीं है। न प्रस्तुतिकरण (Presetation) या मार्किंग है। गवाहों द्वारा वाद पत्र के संबंध में किये गए कथनों के समर्थन में किसी भी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित नहीं हुए है इसलिए पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजी अभिलेख बिना प्रदर्श के ग्राह्य ही नहीं है प्रतिवादी/अपीलांट सरकार के गवाह पटवारी हनुमानराम के बयानों पर भी गौर नहीं हुआ है। इसमें इस दावे के बाबत कोई सारभूत कथन नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य निर्णय में दो तनकी का हवाला दिया गया है जबकि वाद में इन तनकी को कायम कब किया गया कोई उल्लेख नहीं किया गया। अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने के लिए एक सुनियोजित तरीके से राजकीय भूमि की बंदरबांट करने के लिए हस्तगत वाद तैयार किया गया प्रतीत होता है। बिना पुष्ट प्रमाणों के रेस्पोडेंट/वादीगण का दावाकृत भूमि पर दावे का कोई आधार नहीं है न ही उसका दावाकृत भूमि पर अनवरत कब्जा काश्त ही सिद्ध है लिहाजा अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ के राजस्व वाद संख्या 06/2017 वनवान आम्बसिंह बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.09.2021 को अपास्त किया जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 26.04.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर